XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण कमांक – निग0 1113–एक/15 जिला – छतरपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
1-6-15	प्रकरण का अवलोकन किया एवं आवेदक अधिवक्ता अधिवक्ता द्वारा ग्राह्यता के बिंदु पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया तथा आलोच्य आदेश का परिशीलन किया । आलोच्य आदेश के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आवेदक द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत स्थगन आवेदन को, प्रकरण में स्थगन का औचित्य न पाते हुए निरस्त किया गया है तथा प्रकरण दर्ज कर अभिलेख बुलाने एवं अनावेदकों को आहूत किये जाने के आदेश दिए हैं । स्थगन देना या न देना न्यायालय का विवेकाधिकार है । इस न्यायालय के समक्ष भी आवेदक द्वारा ऐसा कोई ठोस एवं विधिक आधार नहीं दिया गया है जिस कारण प्रकरण में स्थगन दिया जाना आवश्यक हो । ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं है । परिणामतः यह निगरानी अग्राह्य की जाती है । आवेदक सूचित हों । प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो । सदस्य	

न्यायालय राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

प्र.क्रं.   / 2015   पुनरीक्षण   निग. – 1113-I/15

1. विश्वनाथ यादव पुत्र श्री काशीप्रसाद यादव
2. रामेश्वर यादव पुत्र श्री काशीप्रसाद यादव
3 प्रेमदास यादव पुत्र श्री काशीप्रसाद यादव निवासीगण ग्राम धामची तह. व जिला छतरपुर
4. शिवकुंवर पुत्री काशीप्रसाद पत्नी गोटीराम निवासी ग्राम पिड़या तहसील व जिला छतरपुर (म.प्र.)

...... आवेदकगण

श्री मुकेश भार्गव एडवोकेट द्वारा आज दि. 18-5-15 को प्रस्तुत

क्लर्क ऑफ कोर्ट 18-5-15
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

विरूद्ध

श्रीमती मिथला यादव पुत्री काशीप्रसाद पत्नी मथुरा यादव निवासी बजरगंज गढ तह. व जिला छतरपुर (म.प्र.)

.......अनावेदक

मुकेश भार्गव
18-5-15 एडवोकेट
ग्वालियर

<u>न्यायालय अपर आयुक्त सागर संभाग सागर द्वारा प्र.कं. 417/6 अ–3 वर्ष 14–15 में पारित आदेश दिनांक 15.4.2016 के विरूद्ध म.प्र. भू. राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत पुनरीक्षण ।</u>

माननीय महोदय,

आवेदक का निम्नानुसार निवेदन है कि :–

1– यह कि, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश अवैध, अनुचित तथा विधि के उपबंधों के प्रतिकूल होने से प्रथम दृष्टया ही निरस्त योग्य है।